निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 70 / 2024
दायरा दिनांकः–24.12.2024
निर्णय दिनांकः–25.6.25

उनवान

1. सन्तोष बाई आयु 60 वर्ष पुत्री कल्याण जाति जाटव निवासी रामपुरिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–25.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री रामनिवास वैष्णाव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादिया के शामलाती खाते एवं कब्जे कश्त में आराजी खाता संख्या 44 की खसरा नंबर 108 रकबा 0.7841 है०, खसरा नंबर 116 रकबा 0.0253 है०, खसरा नंबर 123 रकबा 0.7208 है०, खसरा नंबर 124 रकबा 0.126 है0 कुल किता चार रकबा 1.5428 हैक्टेयर वाके माल रामपुरिया तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया का उपरोक्त वर्णित आराजी में राजस्व विभाग की गफलत एवं लापरवाही के कारण फोती इंतकाल में पिता कल्याण जी के फोत होने पर गलती से प्रार्थीया का नाम सुमित्राबाई दर्ज हो चुका है। जबकि वादिया के मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी में संतोषबाई नाम दर्ज है। इस प्रकार से प्रार्थीया का गलत नाम सुमित्राबाई नाम जमाबंदी में से हटाया / दुरूस्त किया जाकर सही नाम संतोषबाई दर्ज होना अतिआवश्यक है। 3. उपरोक्त गलत दर्ज नाम सुमित्राबाई राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि इसके अभाव में प्रार्थीया अपने प्राप्त अधिकारों से वंचित हो रही है। जैसे भूमि का मुआवजा, ऋण एवं सहकारी इत्यादि से वंचित हो रही है। इसलिए उक्त नाम सही संतोषबाई दर्ज होना अतिआवश्यक है इसके लिए दिनांक 18.12.2024 को प्रार्थीया श्रीमान तहसीलदार साहब छबड़ा के पास दुरूस्ती हेतु निवेदन करने गई तो उन्होंने माननीय न्यायालय में नाम दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत करने की सलाह दी। वाद कारण सर्वप्रथम एवं अंतिम बार दिनांक 18.12.2024 को उत्पन्न हुआ। जबकि प्रार्थीया तहसीलदार साहब तहसील छबड़ा के नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन करने गई तो उन्होंने माननीय न्यायालय में नाम दुरूस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 44 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड सन्तोष बाई जन आधार कार्ड सन्तोष बाई मतदाता पहचान पत्र सन्तोष बाई बैंक पास बुक सन्तोष बाई पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा में स्थित है। प्रार्थीया के पिता की मृत्यु होने के बाद फोती नामान्तरण खोलतें समय प्रार्थी का नाम गलती से सुमित्रा बाई दर्ज की दिया जबकि प्रार्थीया का सही नाम सन्तोष बाई है प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में सही नाम सन्तोष बाई दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत नाम सुमित्रा बाई दर्ज कर दिया है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभों से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सुमित्रा बाई के स्थान पर सन्तोष बाई दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान एवं प्रार्थीया सन्तोष बाई के भाई राजुकमार से प्रार्थीया के नाम की जानकारी प्राप्त की गई। सन्तोष के भाई ने बताया कि उसकी बहिन को गांव में सुमित्रा बाई व सन्तोष बाई दोनो नामों से जाना जाता है मेरी बहिन के सभी दस्तावेजात में सन्तोष बाई पत्नि कल्याण दर्ज है जबकि ग्राम रामपुरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 में मेरी बहिन का नाम सुमित्रा बाई पुत्री गणेश जाति जाटव दर्ज हो गया है सुमित्रा बाई व सन्तोष बाई एक ही महिला के दो नाम है। सुमित्राबाई के स्थान पर सन्तोष बाई नाम दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम रामपुरिया सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 44 में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा बाई पुत्री गणेश जाति जाटव हिस्सा 1/54 शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड जन आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र एवं बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम सन्तोष बाई पत्नि कल्याण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सुमित्रा बाई पुत्री गणेश एवं अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सन्तोष बाई दर्ज है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज है तथा प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सन्तोष बाई सही दर्ज है प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सुमित्रा बाई के स्थान पर सन्तोष बाई दर्ज कराना चाहता है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में दोनो नाम की एक ही महिला होना बताया है तथा सुमित्रा बाई के स्थान पर सन्तोष बाई दर्ज करने की अनुशंषा की है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का नाम सुमित्रा बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई उर्फ सन्तोष बाई दर्ज करना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम रामपुरिया तहसील छबडा के खसरा नम्बर 108 रकबा 0.7841 है0 खसरा नम्बर 116 रकबा 0.0253 है0 खसरा नम्बर 123 रकबा 0.7208 है0 खसरा नम्बर 124 रकबा 0.126 है0 में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा बाई के स्थान पर सुमित्रा बाई उर्फ सन्तोष बाई दर्ज करने के आदेंश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा